

**विधान सभा कार्य
परम अग्रता**

प्रेषक

सेवा में

क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सचिव,
हरियाणा विधान सभा,
चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़, 06.11.2024

विषय:- हरियाणा विधान सभा के दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 से प्रारम्भ हुए अधिवेशन के 13 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ होने द्वितीय चरण के अधिवेशन के दौरान किये जाने वाले सरकारी कार्य का अस्थाई कार्यक्रम ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 13 नवम्बर 2024 से आरम्भ होने वाले अधिवेशन के द्वितीय चरण का अस्थाई कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा :-

- | | |
|--|--|
| Wednesday, the 13th November, 2024
(at 11.00 A.M) | i) Governor's Address
ii) Obituary References
iii) Papers to be laid/re-laid
iv) Discussion on Governor's Address voting on Motion of Thanks. |
| Thursday, the 14th November, 2024
(at 11.00 A.M) | i) Presentation of Supplementary Estimates (1 st Installment)
ii) Discussion on the demands of Supplementary Estimates
iii) Voting on the demands of Supplementary Estimates
iv) Legislative Business
v) Any other Business |
| Monday, the 18th November, 2024
(at 11.00 A.M) | i) Introduction of Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (1 st Installment) for the year 2024-25.
ii) Voting and passing of the Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (1 st Installment) for the year 2024-25.
iii) Papers to be Laid/re-Laid
iv) Legislative Business
v) Any other Business |

अशोक
06.11.24.

अधीक्षक, संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जाती है ।

अशोक
06.11.24.

अधीक्षक, संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. सचिव, राज्यपाल हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, हरियाणा ।

अशोक
06.11.24.

अधीक्षक, संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़, 06.11.2024

एक-एक प्रति मुख्य मंत्री, मंत्रीगण तथा राज्य मंत्रीगण के विशेष वरिष्ठ सचिवों/
वरिष्ठ निजी सचिवों/सचिवों/निजी सचिवों को मुख्य मंत्री/मंत्रियों के सूचनार्थ भेजी जाती है।

अशोक
06.11.24.

अधीक्षक, संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़, 06.11.2024

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ तथा आगामी
कारवाई हेतु भेजी जाती है।

अशोक
06.11.24.

अधीक्षक, संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।